

एवी-11011/1/2020-यूएस (एजी)-एमओसीए

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,

सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली 110003

दिनांक : 23.03.2020

आदेश

(i) जबकि केन्द्रीय सरकार इस तथ्य से संतुष्ट है कि भारत का अधिकांश भाग नोवेल कोरोना वाइरस (कोविड 19) से त्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप विश्वभर में अनेकों मृत्यु हुई है तथा इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, एवं

(ii) जबकि भारत सरकार इस तथ्य को मानती है कि बड़ी संख्या में व्यक्तियों को एक साथ ले जाने वाली उड़ानों से देश के भीतर लोगों की आवाजाही में सहायक होगी एवं भारत के भीतर उपरोक्त वाइरस के प्रसार में सहायक होगा तथा महामारी के प्रसार को रोकने हेतु लोगों की ऐसी आवाजाही को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए;

अब, इसलिए, विमान अधिनियम, 1934 (1934 के XXII) की धारा 8बी की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में, केंद्र सरकार यह निर्देश देती है कि:-

(क) डीजीसीए-इंडिया द्वारा जारी विमान प्रचालक प्रमाण पत्र प्राप्त किसी भी विमान प्रचालक द्वारा सभी अनुसूचित घरेलू उड़ानों (सभी कार्गो उड़ानों को छोड़कर) का प्रचालन 24 मार्च 2020 को भारतीय मानक समय 2359 बजे से प्रभावी होगा। ऐसे प्रचालक अपने परिचालन की योजना इस तरह से बनाएंगे कि उनकी उड़ानें भारतीय मानक समय अनुसार 24 मार्च 2020 को 2359 बजे तक नवीनतम गंतव्य पर पहुंचें।

(ख) गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट के धारकों द्वारा उड़ानों का प्रचालन (सभी कार्गो उड़ानों, ऑफ-हेलिकॉप्टर प्रचालन, चिकित्सा निकासी उड़ानों या डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों को छोड़कर) और 24 मार्च 2020 को भारतीय मानक समय 2359 बजे से निजी विमान प्रचालक की उड़ानें भी बंद हो जाएंगी। ऐसे प्रचालक अपने परिचालन की योजना इस प्रकार बनाएंगे कि उनकी उड़ानें भारतीय मानक समय के अनुसार 24 मार्च, 2020 को 2359 बजे तक नवीनतम गंतव्य पर पहुंचें।

(ग) उपरोक्त प्रतिबंध राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों की ओर से प्रचालित या प्रचालित किए जा रहे विमान / हेलीकॉप्टर पर लागू नहीं होंगे।

(घ) सभी हवाईअड्डों को उड़ान प्रचालन की अनुमति के लिए कार्य करना जारी रखना होगा।

(ङ) उपरोक्त निर्देश भारतीय मानक समय अनुसार 31 मार्च 2020 को 2359 बजे तक लागू रहेंगे।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन सहित जारी किया जाता है।

हस्ताक्षरित
(अंशुमाली रस्तोगी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

डीजीसीए (ध्यानार्थ: श्री अरुण कुमार, महानिदेशक) इस आदेश के अनुसार एयरलाइंस की अनुसूची अनुमोदन को निलंबित करने के आदेश जारी करने का अनुरोध करते हैं।

प्रति प्रेषित:

- (i) अध्यक्ष, एएआई, भारत में सभी एटीसी इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी करने के अनुरोध सहित।
- (ii) सूचना हेतु ई ए/ संयुक्त सचिव (आरए)/जेएस(एडी)/जे एस (एस के एम)/जे एस (यू पी)/जे एस और एफ ए
- (iii) एसडी और आईटी अनुभाग को नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट पर आदेश परिपत्र पर अपलोड करने हेतु।